Rao Tularam Memorial Hospital, Delhi

सत्यमेव जयते

राव तुला राम अस्पताल

- यह परिपत्र रा.तु.रा. अस्पताल में उपलब्ध व अनुपलब्ध सेवायें, शिकायत एवं सुझाव देने की प्रक्रिया, गुणवत्ता, उद्देश्यों की जानकारी आदि की रूपरेखा है।
- इस अस्पताल में उपलब्ध सारी सुविधायें मुफ्त हैं जैसे-जाँच प्रक्रिया, दवाईयाँ, शल्य-चिकित्सा, पार्किंग आदि।

राव तुला राम अस्पताल

दिल्ली सरकार,

जाफरपुर, नई दिल्ली-110073

फोन नं. 011-20895186

011-20895171

ई-मेल - msrtrmh@gmail.com

ms-rtrmh@delhi.gov.in

website - rtrmh.delhi.gov.in

उद्देश्य :-

रा.तु.रा. अस्पताल वर्तमान में सौ (100) बिस्तरे वाला सामान्य अस्पताल (जनरल अस्पताल) है, जिसमें बहिरंगी, अंतरंगी, आकस्मिक विभाग एवं शल्य चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यह दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले में नजफगढ़ से ढांसा बार्डर की तरफ लगभग सात किलोमीटर दूर जाफरपुर गांव में स्थित है। आयुष (Ayush) विभाग के तहत आयुर्वेदिक, होम्योपैथि एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की सुविधाऐं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉट्स (Dots) केन्द्र की सुविधा भी इस अस्पताल परिसर में उपलब्ध है।

सुविधाऐं :-

1. यह अस्पताल दिव्यांगनों के प्रति अनुकूल सुविधाऐं प्रदान करता है।
2. जगह-जगह दिशा-निर्देश एवं जानकारी देने हेतु सूचनापट लगाये गये हैं।
3. व्हील चेयर एवं ट्रॉली की सुविधा आकस्मिक विभाग एवं बहिरंगी विभाग के कमरा नं.-12 में उपलब्ध है।
4. वार्ड एवं ऑपरेशन थियेटर में पहुँचने के लिए 'लिफ्ट' की सुविधा उपलब्ध है।
5. अबाध्य विद्युत उपलब्धता के लिए जनरेटर एवं बैटरी बैंक की सुविधा उपलब्ध है।
6. इस अस्पताल में जगह-जगह जन-सुविधा एवं शीतल पेय जल की सुविधा उपलब्ध है।
7. भर्ती मरीजों के तीमारदारों हेतु उचित प्रतीक्षालय की व्यवस्था है।

पंजीकरण:-

1. यह सुविधा सामान्य बहिरंग विभाग के मुख्य द्वार पर स्थित है।
2. महिला, पुरुष तथा विशेष श्रेणी (वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, कार्ड लाभार्थी एवं अस्पताल कर्मचारी) के लिए अलग-अलग खिड़कियाँ उपलब्ध है।
3. महिला एवं प्रसूति-रोग विभाग का पंजीकरण उसी विभाग के ओ.पी.डी. में स्थित है।
4. आपातकाल विभाग का पंजीकरण कक्ष आपातलकाल विभाग के मुख्य द्वार पर स्थित है।
5. मरीजों के भर्ती की पर्ची आपातकाल विभाग के पंजीकरण कक्ष में बनती है।

दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाऐं :-

1. यह सुविधा 24 x 7 उपलब्ध है।
2. न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार यौन शोषण व घरेलु हिंसा के पीड़ित मरीजों की गोपनीय एवं गरिमामयी जाँच के लिए अलग से वन स्टॉप सेन्टर की सुविधा 24 x 7 उपलब्ध है।
3. दुर्घटना एवं आपातकालीन विभाग (Accidents & Emergency Deptt.) कँजुएल्टी चिकित्सा पदाधिकारी (CMO) की देख-रेख में विभिन्न विभागों के सीनियर रेजीडेन्टस एवं जूनियर रेजीडेन्टस डॉक्टर एवं पारा-चिकित्सा कर्मचारियों की सहायता से चलता है। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया जा सकता है।
4. जो चिकित्सीय सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है उनसे संबन्धित मरीजो को CATS / सरकारी Ambulance के द्वारा अन्य उच्चतर अस्पतालों में रेफर किया जाता है।
5. इस विभाग में मरीजों के लिए कुल 10 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है।
6. विशेषज्ञ की सुविधा 'ऑन कॉल' उपलब्ध है।

प्रसूति कक्ष (लेबर रूम) व स्त्री रोग आकस्मिक विभागः-

1. यह 24 x 7 कार्यरत है। यह अंतरंग विभाग (IPD) के पहली मंजिल पर वार्ड-1 में स्थित है।
2. स्त्री रोग एवं प्रसूति के आपातकालीन मरीजों को सामान्य आकस्मिक विभाग एवं स्त्री रोग के बहिरंग विभाग द्वारा भर्ती किया जाता है।
3. सीजेरियन (L.S.C.S.) की सुविधा वर्तमान में सुबह 9.45 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध है। यह डॉक्टरों की उपलब्धता के अनुसार कभी भी बदला जा सकता है।

पोस्ट-मॉर्टम विभाग :-

पुलिस विभाग के जांच-अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर पोस्ट-मार्टम की प्रक्रिया शुरु की जाती है।

पोस्ट-मार्टम परीक्षण का पंजीकरण :-

अपराह्न 3 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
दोपहर 12 बजे तक (शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाश के दिन)
नोट : पोस्ट-मार्टम परीक्षण के लिए पंजीकरण सम्पूर्ण जाँच दस्तावेज (Complete Inquest Paper) के प्राप्ति के उपरान्त ही की जायेगी।

पोस्ट-मार्टम करने की समय-सारिणी :-

कार्यकाल :- सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक (शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाश के दिन)

बहिरंग सेवाएँ :- (ओ.पी.डी. सेवाएँ) :-

यह सेवाएँ रविवार एवं अन्य सरकारी अवकाश के दिन बंद रहती है।

पंजीकरण का समय :-

सोमवार से शुक्रवार - सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक

शनिवार - सुबह 7:30 से सुबह 11 बजे तक

स्थित :- ओ.पी.डी. ब्लॉक बहिरंग विभाग के मुख्य दरवाजे के पास है।

ओ.पी.डी. का समय : सोमवार से शुक्रवार - सुबह 8.00 से दोपहर 2 बजे तक

शनिवार - सुबह 8.00 से सुबह 1 बजे तक।

ओ.पी.डी. कमरा संख्या और विभाग के नाम :-

क्र. सं	ओ.पी.डी.	कमरा संख्या	फोन नं. विस्तार सं.	ओ.पी.डी. का दिन	ऑपरेशन का दिन
1	नेत्र विभाग	1	201	रोजाना	बुधवार
2	दंत विभाग	19 B 2	202	रोजाना	रोजाना
3	मेडिसिन विभाग	4, 5 17 20	204 205, 217 220	रोजाना	
4	चेस्ट क्लिनिक	60	260	रोजाना	
5	शल्य विभाग	8, 10	208 210	रोजाना	वीरवार
6	त्वचा विभाग	11	211	रोजाना	
7	कान, नाक गला विभाग	16	216	रोजाना	सोमवार
8	शिशु विभाग	18 19	218 219	रोजाना	
9	हड्डी विभाग	20 92	120	रोजाना	मंगलवार
10	स्त्री विभाग	डी ब्लॉक	707 708	रोजाना	सोमवार शुक्रवार
11	बेहोशी की जाँच	मुख्य शल्य कक्ष	605	रोजाना	बुधवार शनिवार

स्पेशल क्लिनिक :-

क्र. सं	ओ.पी.डी.	कमरा संख्या	फोन नं. विस्तार सं.	ओ.पी.डी. का दिन
1	सीनियर सिटीजन क्लिनिक (पंजीकरण एवं ओ.पी.डी. सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक	4, 5, 17	204, 205 217	रविवार
2	NCD Clinic उच्च रक्तचाप व शुगर क्लिनिक पंजीकरण दोपहर 1 से 2 बजे तक ओ.पी.डी. दोपहर 2 से 4 बजे तक	4, 5, 17, 21 20	204, 205 217 221 220	सोमवार बुधवार (1 pm to 4 pm)
3	टी.बी. / चेस्ट क्लिनिक	60	260	रोजाना
4	ईनफर्टिलिटी	202	702	बुधवार
5	प्रसूति के बाद जाँच	207	707	शनिवार

अन्य सुविधाएँ :-

क्र. सं	सुविधाएँ	कमरा संख्या	फोन नं. विस्तार सं.	दिन
1	फैमिली प्लानिंग	ओ.पी.डी.	707	रोजाना
2	टीकाकरण	23	223	रोजाना
3	एस.टी.आई. आर.टी.आई. क्लिनिक	11	211	बुधवार शुक्रवार
4	आई.वाई.सी.फ.	13	.	रोजाना
5	आई.सी.वाई.सी. (एड्स परामर्श एवं जाँच)	104 पुरूष 105 महिला	710	रोजाना
6	फिजियोथैरेपी एवं एक्यूपेशनल थैरेपी	40 41	305 206	रोजाना
7	मेडिकल जाँच	29	125	रोजाना
8	दिव्यांग-प्रमाण-पत्र	29	125	रोजाना
9	खून-संग्रह केन्द्र	103	553	रोजाना
10	सी.एस.एस.डी.	भू-तल	405	रोजाना
11	डॉट्स	60	260	रोजाना

औषधालय :-

आवश्यक औषधि सूची (Essential Drug List) है जो कि दिल्ली सरकार के सरकुलर पर आधारित है। इसके अन्तर्गत आने वाली समस्त औषधियाँ इस अस्पताल में मुफ्त वितरण एवं प्रयोग हेतु उपलब्ध है। इसकी शत प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। अस्पताल की नीति अनुसार सामान्यतः औषधियाँ पाँच दिनों के लिए दी जाती है। विशेष क्लिनिक की दवाईयाँ 30 दिनों के लिए दी जाती है।

औषधि वितरण का समय :-

सुबह 8 से शाम 4 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) लन्च ब्रेक (1 बजे से 1.30 बजे तक)
सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक (शनिवार)

प्रयोगशाला एवं नैदानिक सेवाएँ :-

क्र. सं	सेवाएँ	कमरा संख्या	फोन नं. विस्तार सं.
1	प्रयोगशाला	102 105	551, 553 554
2	एक्स-रे	100	502
3	अल्ट्रासाउंड	100	503
4	ई.सी.जी.	101	504

खून जाँच का नमूना रा.तु.रा. अस्पताल के चिकित्सक की सिफारिश पर पैथोलॉजी विभाग में स्थित केन्द्रीकृत संग्रह केन्द्र पर लिया जाता है।

नमूना संग्रह का समय :-

सोमवार से शुक्रवार - सुबह 8 से दोपहर 11 बजे तक
शनिवार 8 से सुबह 10:30 बजे तक
आकस्मिक विभाग एवं अंतरंग विभाग से जाँच का नमूना 24 घंटे लिया जाता है।

अनुपलब्ध सुविधाएँ :-

ठ. निम्नलिखित सुविधाएँ इस अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं :

1. कार्डियोलोजी
2. नेफ्रोलॉजी, डायलेसिस
3. सी.टी. स्कैन/एम.आर.आई. ईको/पी.फ.ओ./आई.सी.यू.
4. न्यूरो सर्जरी
5. पेरीमेटरी
6. मनोचिकित्सा
7. आई.सी.सी.यू.
8. कैंसर विभाग
9. माइक्रोबायोलॉजी
10. लेजर प्रक्रियाएँ
11. पुनः रचना शल्य चिकित्सा
12. तंत्रिका विभाग

13. बर्न प्लास्टिक सर्जरी
14. यूरोलॉजी
15. गैस्ट्रो शल्य विभाग
16. गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी
17. विटरिया रेटिनल सर्जरी

अंतरोंगी (इन डोर) सुविधाएँ :-

ईन डोर रोगियो को छुट्टी के समय दवाईयाँ उनके ही वार्ड में नर्सिंग अफसर द्वारा दी जाती है।

क्र. सं	विभाग	स्थित	विस्तार पुरुष	विस्तार महिला
1	प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग	प्रथम तल वार्ड 1 व 2	-	25 - 25
2	शिशु विभाग	प्रथम तल	-	-
3	मैडिसीन विभाग	द्वितीय तल	वार्ड-III	वार्ड-IV
4	शल्य विभाग	द्वितीय तल	वार्ड-III	वार्ड-IV
5	हड्डी विभाग	द्वितीय तल	वार्ड-III	वार्ड-IV
6	नेत्र विभाग	द्वितीय तल	वार्ड-III	वार्ड-IV
7	कान, नाक गला विभाग	द्वितीय तल	वार्ड-III	वार्ड-IV

गुणवत्ता नीति :-

उद्देश्य :-

समाज के सभी लोगो एवं मरीजो का अनुकूल वातावरण में नैतिक एवं गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा मरीजों से फीडबैक के विश्लेषण के आधार पर लगातार सुधार करना। आधुनिक चिकित्सकीय प्रणाली के अपनाना और अन्य गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना।

सहायता क्षेत्र :-

(1) सहायता क्षेत्र पंजीकरण क्षेत्र के बगल में कमरा संख्या 25 में स्थित है।

(2) इसके अलावा मरीज कल्याण अधिकारी से कमरा संख्या 21 के (ओ.पी.डी. ब्लॉक) सम्पर्क किया जा सकता है।

औसतन अपेक्षित समय चक्र (मरीजों की संख्या पर आधारित)
पंजीकरण – 5–10 मिनट
ओ.पी.डी. – 20–25 मिनट
दवा – 20–25 मिनट
लैब संग्राहलय – 20 –25

मरीजों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

अधिकार :-

1. चिकित्सकीय ईलाज और जानकारी।
2. बिमारी की स्पष्ट जानकारी लेने का अधिकार।
3. किसी चिकित्सकीय सलाह, जाँच एवं ईलाज को मना करने का अधिकार और ऐसा करने से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
4. गोपलीयता और सम्मान तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के मानने का अधिकार।
5. गोपनीयता।
6. शिकायत एवं सुझाव देने का अधिकार।

कर्त्तव्य :-

1. चिकित्सक को अपनी तकलीफ, पुरानी बीमारी, अलर्जी एवं अन्य सम्बन्धित जानकारियाँ देना व पुराने मेडिकल रिकार्ड दिखाना।
2. औषधि एवं ईलाज का निर्देशानुसार पालन करना।
3. दूसरे मरीजों के अधिकारों का ध्यान रखना।
4. अस्पताल के नियमों का पालन करना।
5. दिए हुए समय पर वापिस चिकित्सक को दिखाना।
6. असत्य असत्य जानकारी नहीं देना और प्रमाण–पत्र की मांग नही करना।
7. अस्पताल को स्वच्छ रखना एवं कूड़ेदान का समुचित उपयोग करना।
8. शौचालय को साफ रखना।
9. अस्पताल परिसर में सिगरेट ना पीना और यहाँ वहाँ ना थूकना।
10. अपनी बारी का शान्तिपूर्वक इन्तजार करना।
11. वातावरण को स्वच्छ रखने में अस्पताल प्रशासन का सहयोग करना।
12. शान्ति बनाये रखना।
13. 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनावश्यक रूप से साथ ना लाना।

नोट : झूठी एवं अपूर्ण जानकारी देने के दुष्परिणामों के लिए मरीज स्वयं उत्तरदायी होगा।

शिकायत निवारण एवं सुझाव :-

इस अस्पताल में जगह–जगह शिकायत एवं सुझाव पेटिका रखे गये हैं। साथ ही शिकायत निवारण पदाधिकारी (G.R.O.) के नाम एवं बैठने के स्थान की सूचना विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त फोन नंबर 1031 (जन शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम दिल्ली सरकार) L.G. Listening Portal पॉर्टल एवं CMPGMS पॉर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।